



सर्वोच्च न्यायालय ने EVM तथा VVPAT प्रणाली को सही ठहराया

प्रलिस के लिये:

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM), वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, भारत का चुनाव आयोग, सुब्रमण्यम स्वामी [?] [?] [?] भारत का चुनाव आयोग, **जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951**, दनिश गोस्वामी समिति

मेन्स के लिये:

भारत में चुनाव सुधार, चुनाव में पारदर्शिता।

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रफॉर्मर्स [?] [?] [?] इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मामले, 2024 में पेपर मतपत्रों की वापसी को खारिज करते हुए **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) प्रणाली** को बरकरार रखा। साथ ही न्यायालय द्वारा अधिनसभा नरिवाचन कषेत्रों में **वर्तमान यादृच्छिक 5% सत्यापन को बनाए रखते हुए, वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) प्रचयों के साथ EVM वोटों के 100% क्रॉस-सत्यापन के अनुरोध को खारिज कर दिया।**

- हालाँकि, न्यायालय ने मौजूदा प्रणाली को मज़बूत करने के लिये **भारत के चुनाव आयोग (ECI)** को कई नरिदेश जारी किये।

EVM और VVPAT पर सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान टपिपणी क्या है?

- मतदान प्रणाली पर प्रश्न उठाने के लिये अपर्याप्त साकष्य:** न्यायालय ने कई वधिकि उदाहरणों का हवाला देते हुये ये तथ्य दिया कि वर्तमान मतदान प्रणाली पर प्रश्न उठाने के लिये साकष्य अपर्याप्त है, वशेषतः VVPAT के कार्यान्वयन के बाद।
 - वर्ष 2013 के **सुब्रमण्यम स्वामी [?] [?] [?] भारत नरिवाचन आयोग** के मामले में, न्यायालय ने घोषणा की कि निषिपक्ष चुनाव सुनश्चिति करने के लिये वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल प्रणाली आवश्यक है।
 - इसके उपरान्त, वर्ष 2019 में प्रत्येक अधिनसभा कषेत्र में VVPAT प्रचयों के साथ EVM वोटों के 50% क्रॉस-सत्यापन की वकालत करने वाली एक याचिका को संबोधित करते हुये, न्यायालय ने प्रतविधिनसभा कषेत्र में VVPAT सत्यापन करने वाले मतदान केंद्रों की संख्या 1 से बढ़ाकर 5 करने के नरिणय का समर्थन किया।
- EVM माइक्रोकंट्रोलर की तटस्थता:** सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि **EVM नरिमाताओं** द्वारा अलग से प्रोग्राम किये गए माइक्रोकंट्रोलर तटस्थ हैं, क्योंकि वे **किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार का पक्ष** नहीं लेते हैं, बल्कि केवल मतदाताओं द्वारा दबाये गये बटन को रकिॉर्ड करते हैं।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी बताया कि EVM के माइक्रोकंट्रोलर या मेमोरी तक पहुँचने का कोई भी अनधिकृत प्रयास **अनधिकृत एक्सेस डिटिक्शन मैकेनिज़िम (UADM)** को ट्रगिर करता है, जिससे EVM स्थायी रूप से अक्षम हो जाती है।
- EVM में सुरक्षा उपाय:** सुरक्षा उपायों पर प्रकाश डालते हुये, न्यायालय ने कहा कि EVM में स्थापित प्रोग्राम को नरिमाण के दौरान सुरक्षित रूप से रखा जाता है और वन टाइम प्रोग्राम माइक्रोकंट्रोलर चपि में बरन हो जाते हैं, जिससे छेड़छाड़ की कोई भी संभावना समाप्त हो जाती है।
 - इसके अतरिकित, EVM की सभी तीन इकाइयों - **मतपत्र इकाई, नरिंतरण इकाई और VVPAT** - में फरमवेयर के साथ माइक्रोकंट्रोलर होते हैं जिन्हें नरिमाता द्वारा भारत नरिवाचन आयोग को डलिवरी करने के बाद बदला नहीं जा सकता है।

भारत में EVM और VVPAT की शुरुआत कैसे हुई?


- 1977-1979:** EVM का वचिार 1977 में आया था और इसका प्रोटोटाइप 1979 में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL), हैदराबाद द्वारा वकिसति किया गया था।
- 1980:** चुनाव आयोग (Election Commission Of India- ECI) ने 6 अगस्त, 1980 को एक EVM का प्रदर्शन किया। इसके उपयोग पर

सर्वसम्मतके बाद, ECI ने EVM के उपयोग के लिये अनुच्छेद 324 के तहत नरदेश जारी किये ।

- **1982: केरल की पारूर सीट** पर चुनाव के दौरान 50 मतदान केंद्रों पर EVM का इस्तेमाल किया गया था । उच्चतम न्यायालय (SC) ने EVM के उपयोग की वैधता के खिलाफ फैसला सुनाया ।
- **1988:** दसंबर 1988 में **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** में एक संशोधन हुआ जिसमें एक नया खंड, 61A जोड़ा गया, जो **चुनाव आयोग (EC)** को **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM)** को नियोजित करने में सक्षम बनाता है । संशोधन 15 मार्च, 1989 को लागू हो गया ।
- **1990: दनिश गोस्वामी** को चुनाव सुधार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो EVM के तकनीकी विश्लेषण का सुझाव देती है । तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा EVM का सुझाव **"बना समय की बर्बादी के तकनीकी रूप से मज़बूत, सुरक्षित और पारदर्शी"** बताया गया था ।
- **1998:** मध्य प्रदेश, राजस्थान और नई दिल्ली में 16 विधानसभा चुनावों में EVM का इस्तेमाल किया गया था ।
- **2001:** EVM का उपयोग विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में राज्य विधानसभा चुनावों के लिये किया गया था । इसके बाद हुए प्रत्येक राज्य के विधानसभा चुनाव में इस मशीन का प्रयोग किया गया ।
- **2004:** लोकसभा चुनाव में सभी 543 सीटों पर EVM का इस्तेमाल किया गया ।
- **2013: चुनाव संचालन नियम, 1961** में हुये संशोधन ने मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रायल (VVPAT) मशीनों के उपयोग की शुरुआत की । नगालैंड में **नोकसेन** विधानसभा सीट के लिये उपचुनाव में उपयोग किया गया ।
- **2019:** यह पहला लोकसभा चुनाव था जिसमें EVM पूर्ण रूप से VVPAT EVM पर आधारित था ।

How do VVPAT machines work?

When a voter presses a button in the EVM, a paper slip is printed through the VVPAT



TOI FOR MORE INFOGRAPHICS DOWNLOAD TIMES OF INDIA APP

नोट:

- **पेपर बैलेट प्रणाली** एक पारंपरिक मतदान पद्धति है जहाँ मतदाता भौतिक पेपर मतपत्रों पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिये चहिनति करते हैं, जिन्हें परिणाम निर्धारित करने के लिये चुनाव अधिकारियों द्वारा मैन्युअल रूप से गिना जाता है ।
- यह प्रणाली पारदर्शी है लेकिन इसमें **समय लग सकता है और गिनती के दौरान त्रुटियों की संभावना** हो सकती है ।

EVM पेपर बैलेट सिस्टम से कसि प्रकार बेहतर है?

- **सटीकता और कम त्रुटियाँ:** EVM के उपयोग से मानवीय त्रुटियाँ जैसे गलत गिनती, दोहरी वोटिंग अथवा अस्पष्ट चहिनो के कारण अमान्य वोट की संभावना समाप्त हो जाती है ।
 - EVM की डिजिटल प्रकृत **वोटों का सटीक सारणीकरण** सुनिश्चित करती है, जिससे मैन्युअल गिनती की तुलना में अधिक सटीक चुनाव

परणाम सुनश्चिति होते हैं।

- **तेज़ गनिती और परणाम:** पारंपरिक कागज़ी मतपत्रों की तुलना में EVM वोटों की गनिती के लिये आवश्यक समय को काफी कम कर देता है, जिससे चुनाव परणाम जल्दी घोषित हो जाते हैं।
 - यह तेज़ गनिती प्रक्रिया मैन्युअल गनिती वधियों से जुड़ी **अनश्चितताओं** और देरी को **कम करने** में सहायता करती है।
- **पर्यावरण के अनुकूल:** EVM कागज़ के उपयोग को कम करके पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करते हैं, इस प्रकार बड़ी मात्रा में कागज़ी मतपत्रों की छपाई और प्रबंधन से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव एवं लागत को कम करते हैं।
 - इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की ओर बदलाव चुनावी प्रक्रियाओं में पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है।
- **उन्नत सुरक्षा उपाय:** EVM में उन्नत सुरक्षा सुविधाएँ जैसे एन्क्रिप्शन, सुरक्षित बूथगि और छेड़छाड़ का पता लगाने वाले तंत्र शामिल हैं, जिससे उनमें छेड़छाड़ या धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है, जो बूथ कैपचरिंग, मतपत्रों में स्याही डालने तथा मतपेटी भरने के माध्यम से पेपर मतपत्र प्रणालियों में होना संभव है।
 - वोटों का डिजिटल एन्क्रिप्शन चुनावी प्रक्रिया की अखंडता और गोपनीयता सुनश्चिति करता है, जिससे चुनाव परणामों में समग्र सुरक्षा एवं वश्वास बढ़ता है।



भारत में चुनाव सुधार

चुनाव सुधार, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये किये गये बदलाव हैं।

वर्ष 1996 से पूर्व में हुए चुनाव सुधार

- ⤵ **आदर्श आचार संहिता (1969):** राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिये चुनाव संबंधी दिशा-निर्देश
- ⤵ **61वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1988):** मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना
- ⤵ **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) (1989):** अलग-अलग रंगीन मतपेटियों से मतपत्रों में और बाद में EVM में परिवर्तन
- ⤵ **बूथ कैप्चरिंग (1989):** ऐसे मामलों में मतदान स्थगित करने या चुनाव रद्द करने का प्रावधान
- ⤵ **मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) (1993):** मतदाता सूची पंजीकृत मतदाताओं को EPIC जारी करने का आधार है।
- ⤵ **भारत का निर्वाचन आयोग- एक बहु-सदस्यीय निकाय (1993):** मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आलावा अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति

वर्ष 1996 का चुनाव सुधार

- ⤵ **उप-चुनाव के लिये समय-सीमा:** विधानसभा में किसी भी रिक्ति के 6 माह के अंदर चुनाव को अनिवार्य किया गया
- ⤵ **उम्मीदवारों के नामों की सूची:** चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को लिस्टिंग के लिये 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है:
 - ⤵ मान्यता प्राप्त और पंजीकृत-गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल
 - ⤵ अन्य (स्वतंत्र)
- ⤵ **राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के आधार पर अपमान करने पर अयोग्यता:** 6 वर्ष के लिये चुनाव में अयोग्यता हो सकती है।
- ⤵ भारत के राष्ट्रीय ध्वज, संविधान का अपमान करना या राष्ट्रगान गाने से रोकना

वर्ष 1996 के पश्चात् चुनाव सुधार

- ⤵ **प्रॉक्सी वोटिंग (2003):** सेवा मतदाता सशस्त्र बलों और सेना अधिनियम के अंतर्गत आने वाले बल चुनाव में प्रॉक्सी वोट डाल सकते हैं।
- ⤵ **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का आवंटन (2003):** जनता को संबोधित करने के लिये चुनावों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का समान बंटवारा।
- ⤵ **EVM में ब्रेल संकेत विशेषताओं का परिचय (2004):** दृष्टिबाधित मतदाताओं को बिना किसी परिचारक के अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान करना

वर्ष 2010 के चुनाव सुधार

- ⤵ विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार (2010)
- ⤵ मतदाता सूची में ऑनलाइन नामांकन (2013)
- ⤵ नोटा विकल्प का परिचय (2014)
- ⤵ **मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) (2013):** स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये EVM के साथ VVPAT की शुरुआत
- ⤵ **EVM और मतपत्रों पर उम्मीदवारों की तस्वीरें (2015):** उन निर्वाचन क्षेत्रों में भ्रम से बचने के लिये जहाँ उम्मीदवारों के नाम एक समान होते हैं
- ⤵ **चुनाव बॉन्ड की शुरुआत (2017 बजट):** राजनीतिक दलों के लिये नकद दान का एक विकल्प
 - ⤵ SC द्वारा असंवैधानिक घोषित (2024)
- ⤵ इलेक्ट्रॉनिक मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) का आरंभ (2021)
- ⤵ दिव्यांगजनों और 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिये होम वोटिंग (2024)

महत्त्वपूर्ण समितियाँ/आयोग

समितियाँ/आयोग	वर्ष	उद्देश्य
■ तारकुंडे समिति	1974	■ जय प्रकाश नारायण (जेपी) द्वारा "संपूर्ण क्रांति" आंदोलन के दौरान।
■ दिनेश गोस्वामी समिति	1990	■ चुनाव सुधार
■ वोहरा समिति	1993	■ अपराध और राजनीति के बीच गठजोड़ पर
■ इन्द्रजीत गुप्ता समिति	1998	■ चुनावों का राज्य वित्त पोषण
■ द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग	2007	■ शासन में नैतिकता पर रिपोर्ट (वीरप्पा मोडली की अध्यक्षता में)
■ तन्खा समिति (कोर कमेटी)	2010	■ निर्वाचन विधि और चुनाव सुधारों के संपूर्ण पहलू पर विचार करना।



Drishti IAS

दृष्टि भिन्स प्रश्न:

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) सिस्टम चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता कैसे बढ़ाते हैं? चुनाव परिणामों में जनता के विश्वास और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने में इन प्रौद्योगिकियों से संबंधित महत्त्व एवं चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजिए: (2017)

1. भारत का नरिवाचन आयोग पाँच-सदस्यीय नकिय है ।
2. संघ का गृह मंत्रालय, आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लयि चुनाव कार्यक्रम तय करता है ।
3. नरिवाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के वभिजन/वलिय से संबंधति वविाद नपिटाता है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. भारत में लोकतंत्र की गुणता को बढ़ाने के लएि भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है । सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे कसि सीमा तक महत्त्वपूर्ण हैं? (2017)